

भाग- 5

इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकरण अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

रिलायन्स जियो इन्फोकाम लि० द्वारा जनपद जालौन में राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-25 (उरई-ऐट मार्ग) के किमी० 250.00 से किमी० 178.00 एवं एम०डी०आर० सं०- 27 बी (कोंच-नदीगाँव मार्ग) के किमी० 0.00 से किमी० 21.00 तक कुल लम्बाई 93.00 किमी० एवं 0.9802 हे० संरक्षित वनभूमि में बिना वृक्ष पातन के ओ०एफ०सी० केबिल डालने हेतु गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति । (प्रस्ताव संख्या-11-सी/एफपी/यूपी/अदर्स/40442/2019)

राज्य सरकार की सिफारिशें —

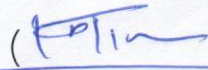
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश सं०-पी-147/81-2-2021-800(130)/2021 दिनांक 20.8.2021 के द्वारा प्रस्ताव पर मुख्य वन संरक्षक नोडल अधिकारी की संस्तुति के आधार पर संस्तुत ।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।)

दिनांक—

20.8.2021

हस्ताक्षर

()

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर
(अशीष तिवारी)

सचिव,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु

परिवर्तन विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन।